सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

नजरसानी प्रकरण सं0 14/2015

1. अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 3 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत
2. गेजा सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर
3. सुवेग सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर

अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधि0 विरूद्व प्रस्ताव 138 दिनांक 10.11.1986 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के पट्टो को जो कि अहाता सख्या 136 व 138 चक 37 आर.बी. को निरस्त करने का आदेश गलत व यक तरफा पारित किया गया है बामुराद मन्सुखिया

उपस्थित :–

1. श्री तेजा सिंह एवं कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री सुरेश अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 3

दिनांक: 28.05.2018

आदेश

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " ग्राम पंचायत 3 आर.बी. प्रस्ताव संख्या 138 दिनांक 10.11.1986 गलत खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है, ग्राम पंचायत द्वारा 24.06.1983 को निलामी आम में निगरानीकर्ता की बोली अहाता नम्बर 136 व 138 की बोली सबसे अधिक 390 रूपये होने के कारण इन दोनो प्लाट जिनका साईज प्रत्येक 88 गुणा 100 फीट है, निगरानीकर्ता को विक्रय किये गए तथा पट्टा दिनांक 05.08.1986 को जारी किया गया, पट्टा की नकल शामिल है। उक्त तारीख से निरंतर निगरानीकर्ता उक्त भू–खण्डों पर काबिज चला आ रहा है तथा पंचायत की देखा देखी सहमति से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इस प्रकार से निगरानीकर्ता का कब्जा करीब 30 साल से अधिक समय से चला आ रहा है। आदेश दिनांक 10.11.1986 पारित करने से पूर्व ना तो निगरानीकर्ता को कोई नोटिस दिया गया ना मिला ना बुलाया ना सुना गया ना ही कभी कोई अपील विकास अधिकारी के हुई ना कोई निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष हुई ना पट्टे को आज तक निरस्त किया गया है। पंचायत को पट्टे निरस्त करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं रहा। निगरानीकर्ता की उच्चतम बोली होने से ही उसको भू–खण्ड विक्रय किये गये जो तत्कालीन सरपंच हरिसिंह द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया ऐसे पट्टे को केवल सक्षम न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। आदेश ग्राम पंचायत दिनांक 10.11.1986 गलत यकतरफा बिना अधिकार के होने से व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना ना होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा आज तक निगरानीकर्ता को 390 रूपये राशि भी वापिस नहीं लौटाई गई है इससे स्पष्ट है कि पट्टा प्रभावशील है। रिकॉर्ड में कांट–छांट करके पट्टा निरस्त करने का दर्ज किया गया है जो कि किसी गलत रंजिश अथवा कारवाई को प्रकट करता है तथा कूटरचित रिकॉर्ड बनाया जाना प्रतीत होता है। जिसका निगरानीकर्ता के अधिकारों पर कानूनन कोई अधिकार नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई पारित करने से पूर्व ना तो कोई मीटिंग की गई ना कोई मौका देखा गया ना कमेटी बनाई ना कमेटी की रिपोर्ट ली ना कानूनी प्रकिया अपनाई। अतः आदेश स्पष्ट ही गलत है। निगरानी काबिल समाअत अदालतवाला है, उचित न्यायशुल्क पर पेश है तथा गत सप्ताह सर्वप्रथम इलम होने से बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। दरदफा 05 एक्ट मियाद मय शपथ–पत्र शामिल है। श्रीमान न्यायालय को सोमोटिव अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर पंचायत का रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा निरस्त करने का अधिकार हासिल है। अतः किसी सूरत में निगरानी उचित ना मानी जावे तो प्रार्थना पत्र मानकर कारवाई की जावें। मिलीभगत से तथा निगरानीकर्ता को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए बनाया गया हैं अगर यह सही होता तो उसी समय कब्जा लेने की कारवाई की जाती मगर आज तक कारवाई ना करना भी यही प्रकट करता है कि यह कूटरचित रिकॉर्ड बनाया गया है। लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, ग्राम पंचायत द्वारा 24.06.1983 को निलामी आम में निगरानीकर्ता की बोली अहाता नम्बर 138 व 138 की बोली सबसे अधिक 390 रूपये होने के कारण इन दोनो प्लाट जिनका साईज प्रत्येक 88 गुणा 100 फीट है, निगरानीकर्ता को विक्रय किये गए तथा पट्टा दिनांक 05.08.1986 को जारी किया गया, पट्टा की नकल शामिल है। उक्त तारीख से निरंतर निगरानीकर्ता उक्त भू–खण्डों पर काबिज चला आ रहा है तथा पंचायत की देखा देखी सहमति से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इस प्रकार से निगरानीकर्ता का कब्जा करीब 30 साल से अधिक समय से चला आ रहा है। आदेश दिनांक 10.11.1986 पारित करने से पूर्व ना तो निगरानीकर्ता को कोई नोटिस दिया गया ना मिला ना बुलाया ना सुना गया ना ही कभी कोई अपील विकास अधिकारी के हुई ना कोई निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष हुई ना पट्टे को आज तक निरस्त किया गया है। पंचायत को पट्टे निरस्त करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं रहा। निगरानीकर्ता की उच्चतम बोली होने से ही उसको भू–खण्ड विक्रय किये गये जो तत्कालीन सरपंच हरिसिंह द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया ऐसे पट्टे को केवल सक्षम न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। आदेश ग्राम पंचायत दिनांक 10.11.1986 गलत यकतरफा बिना अधिकार के होने से व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना ना होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा आज तक निगरानीकर्ता को 390 रूपये राशि भी वापिस नहीं लौटाई गई है इससे स्पष्ट है कि पट्टा प्रभावशील है। रिकॉर्ड में कांट–छांट करके पट्टा निरस्त करने का दर्ज किया गया है जो कि किसी गलत रंजिश अथवा कारवाई को प्रकट करता है तथा कूटरचित रिकॉर्ड बनाया जाना प्रतीत होता है। जिसका निगरानीकर्ता के अधिकारों पर कानूनन कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई पारित करने से पूर्व ना तो कोई मीटिंग की गई ना कोई मौका देखा गया ना कमेटी बनाई ना कमेटी की रिपोर्ट ली ना कानूनी प्रकिया अपनाई। अतः आदेश स्पष्ट ही गलत है। इस प्रकार निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निम्न नजीर पेश की है:–

1. **डी.एन.जे.2005(2) पेज– 585 से 587**

हस्तगत प्रकरण में उक्त नजीर चस्पा नहीं होती है।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा जिन भूखण्डो के सम्बन्ध में निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है उसमें तमाम कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा की गई थी तथा तमाम तथ्य निरीक्षण दल तथा ग्राम सचिव के समक्ष रखे गये थे जिनके आधार पर पूर्व सरपंच द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर लगभग 29 पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों के नाम से जारी कर दिये गये थे। उनमें से भूखण्ड संख्या 136 व 138 के सम्बन्ध में निगरानी पेश की गई है तथा तथ्यों को छिपाते हुए कार्यवाही की जा रही है। भूखण्ड सख्या 136 व 138 जो निरस्त किये गये विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर निरस्त किये गये है। इस प्रकार निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी भूखण्ड वाके चक 37 आरबीए के अहाता संख्या 136 व 138 के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2015 को प्रस्तुत की है और इन्ही भूखण्डों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने एक वाद अनवानी परमिन्द्र सिंह वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अदालत –सिविल न्यायधीश (क.ख.) श्रीगंगानगर के समक्ष वाद संख्या 47/14 दिनांक 01.10.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायायल में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 10.11.1986 ग्राम पंचायत का नही होकर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा किये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह कहीं अंकित नहीं किया कि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान निगरानीकर्ता को कब व किससे हुआ। यह समस्त तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा मात्र इस आवेदन पत्र को रंग देने के लिए झूठे व मनघण्डत अंकित किए गए है, जबकि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान शुरू से ही निगरानीकर्ता को है क्योंकि विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा बाद प्रशासनिक जांच निगरानीकर्ता व इस चक के अन्य कई परिवारों के पट्टे दिनांक 10.11.1986 को निरस्त कर दिए है। इनकी ताईद **"बीडीओ पदमपुर का उक्त वाद में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.11.2014 के अनुसार गांव 37 आर.बी. का अहाता संख्या 135 ता 143 ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए के पास उपलब्ध खसरा रजिस्टर के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 में लिये गये निर्णय अनुसार निरस्त किये गये है "** होती है इसके उपरान्त उक्त अहाताजात को गांव के अन्य निवासियों को अलाट कर दिए गए तथा आवंटन के पश्चात आवंटित व्यक्ति अपने–अपने अहाताजात पर काबिज चले आ रहे है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी 30 वर्षो के बाद पेश की गई है जिसमें हुई देरी का कोई स्पष्ट कारण भी अपने आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा 24.06.1983 को निलामी आम में निगरानीकर्ता की बोली अहाता नम्बर 136 व 138 के लिए सबसे अधिक 390 रूपये होने के कारण निगरानीकर्ता को बोली में दिये गये है जिनका पट्टा दिनांक 05.08.1986 को जारी किया गया जबकि ग्राम पचांयत द्वारा उपलब्ध करवाये गये मूल अभिलेख के तहत

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उपलब्ध करवाई गई पत्रावलियों को देखने पर पाया गया कि पंचायत समिति पदमपुर की प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 द्वारा उक्त निलामी अस्वीकृत की गई है। स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 के आलोक में अहाता नम्बर 136 व 138 की पत्रावली संख्या 75 अनवानी अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें प्रकरण की प्रशासनिक जांच कर्ता पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा निम्न आक्षेप लाल स्याही से अंकित किए गए हैः–

1. विक्री पुष्टि के लिए सक्षम अधिकारी के पास नहीं भेजी गई। (नियम 265)
2. प्रस्तुत नक्शा पर नक्शा नवीस तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है।(नियम 257(5)
3. जारी नोटिस दोनो को चस्पा नहीं किया गया।(नियम 260)
4. निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.1983 में प्रार्थी द्वारा कोई अहाता नम्बर की मांग नही की गई है। किस आधार पर इसे अहाता नम्बर 136–138 दिया गया ?(नियम 256)
5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। (नियम 260(2)

राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत आबादी भूमि के विक्रय की संपूर्ण प्रक्रिया राज0 पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से 265 में विहित की गई है। निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली में उक्त प्रक्रिया को नही अपनाए जाने से उपरोक्त आक्षेपों लगाए गये है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है। नियमों में विहित प्रावधानों और प्रक्रिया की पालना नहीं होने के कारण पट्टो की वैद्यता नहीं रही । लिहाजा इन्हें निरस्त करने के आदेश सक्षम स्तर से दिए गए थे। जिसकी पालना में उक्त अहातो के पट्टे तत्समय निरस्त कर दिये गए। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकार द्वारा कोई चाराजोही किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. को बाद प्रशासनिक जांच एवं पं.समिति पदमपुर के द्वारा विक्रय की पुष्टि नहीं किये जाने एवं जांच में विक्रय प्रक्रिया को आक्षेपित कर लिये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर द्वारा प्रदत आदेशो के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रस्ताव 138 दिनांक 10.11.1986 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के पट्टो को, जो कि अहाता सख्या 136 व 138 चक 37 आर.बी. को सार्वजनिक नोटिस दिनांक 15.11.1986 चस्पांदगी (नियम 259(2) की पालना में) के पश्चात निरस्त करने का ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित किया गया वह विधिसम्मत् है। अतः निगरानीकृत प्रस्ताव सख्या 138 दिनांक 10.11.1986 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. के प्रस्ताव संख्या 138 दिनांक 10.11.1986 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।